

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 3- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।

पंचायती राज अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हुई है और उस पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2018 का अंक डाला गया है।

2- अतः इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक - यथोपरि।**

भवदीय,

जितेन्द्र बहादुर सिंह  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018  
चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
विधायी अनुभाग-1

संख्या 815/79-वि-1-18-1(क)4-18  
लखनऊ, 11 अप्रैल, 2018

### अधिसूचना

#### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्हात्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

2-इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

3-यह दिनांक 29 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ



उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में संशोधन	2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में शब्द "बाजार, वधशाला" के स्थान पर शब्द "बाजार" रख दिया जाएगा।	
धारा 197 का निकाला जाना	3-मूल अधिनियम की धारा 197 निकाल दी जाएगी।	
धारा 198 का संशोधन	4-मूल अधिनियम की धारा 198 में पार्श्वकित शीर्षक में शब्द "बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं" के स्थान पर शब्द "धार्मिक प्रयोजनार्थ वध" रख दिये जायेंगे।	
निरसन और व्यावृत्ति	5-(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार्वजनिक समयों में प्रवृत्त थे।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2018

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक "बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री आदि" के रूप में वाचित है। धारा 197 में बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के वध का स्थान उपबन्धित है। धारा 198 के पार्श्वकित शीर्षक में ऐसे पशुओं के संबंध में, जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जायेगा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपबन्ध है। रिट याचिका लक्ष्मी नारायण भोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के आलोक में धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में संशोधन करने, धारा 197 को निकालने और शब्द "बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं" के स्थान पर शब्द "धार्मिक प्रयोजनार्थ वध" को रखते हुए धारा 198 के पार्श्वकित शीर्षक में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।



No. 815(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka) 4-2018

Dated Lucknow, April 11, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat Tatha Zila Panchayat (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 2018.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018  
(U. P. ACT NO. 23 OF 2018)  
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the republic of India as follows:-

- |   |  |
|---|--|
| 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.  | Short title, extent and commencement   |
| (2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.   |  |
| (3) It shall be deemed to have come into force on January 29, 2018.   |  |
| 2. In the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, in the heading appearing before section 197, for the words "MARKETS, SLAUGHTER-HOUSES", the word "MARKETS" shall be substituted.  | Amendment of the heading appearing before section 197 of U.P. Act no. 33 of 1961 |
| 3. Section 197 of the principal Act shall be omitted.   | Omission of section 197  |
| 4. In section 198 of the principal Act, in the marginal heading for the words, "not slaughtered for sale", the words "slaughtered for religious purpose" shall be substituted.  | Amendment of section 198   |
| 5. (1) The Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 is hereby repealed.  | Repeal and Saving  |
| (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the co-responding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. |  |

U.P.  
Ordinance  
no. 5 of  
2018

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 has been enacted to provide for the establishment of Kshetra Panchayats and Zila Panchayats in Uttar Pradesh. The heading appearing before section 197 of the said Act read as 'Markets, Slaughter houses, sale of food, etc.'. Section 197 provides for the place for slaughter of animals for sale. The marginal heading of section 198 provided for power of District Magistrate in respect of animals not slaughtered for sale. In the light of the

decision of the Hon'ble Supreme Court in the writ petition *Lakshmi Narayan Modi Versus Union of India and Others*, it has been decided to amend the heading appearing before section 197, to omit section 197 and to amend the marginal heading of section 198 by substituting the words "slaughtered for religious purpose" for the words "not slaughtered for sale".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (U.P. Ordinance no. 5 of 2018) was promulgated by the Governor on January 29, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,  
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15 राजपत्र-2018-(37)-593 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० विधायी-12-4-2018-(38)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।